प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 02552/2024-2025

दिनांक 05/03/2025

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/BEH/16929/2024-2025 पत्रावली संख्या:F-40621 दिनांक:2014-2015

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि राजेश कुमार गौड़ पब्लिक एजुकेशनल सोसाइटी, मो0 नई बस्ती अकबरपुरा, पोस्ट तहसील व जिला-बहराइच, उ0प्र0।, बहराइच, 271801 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1370/2014-2015 दिनांक 26/12/2014 को दिनांक 26/12/2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1150 रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(LAXMI KANT)
A5E595EE5BDBF28BEE169EBD4DFA0A93ABC6F3D3
Date: 26/03/2025 5:04:41 PM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-05/03/2025

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य है इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।

R. R. Aspire Academy
Manager

R.R. ASPIRE ACADEMY
PRINCIPAL

संख्या 6879 पत्रावली संख्या F-40621 दिनांक 26/12/14

सोसाइटी – रजिस्ट्रीकरण

का

प्रमाण – पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

संख्या – 1370/2014-2015

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि राजेश कुमार गौड़ पब्लिक एजूकेशनल सोसाइटी।

मो0 नई बस्ती अकबरपुरा पो0 तह0 व जिला–बहराइच।

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई0 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

यह प्रमाण–पत्र 25/12/2019 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 26/12/2014 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AE 269448

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
अयोध्या (उ०प्र०)

11/08/2020

रमेश कुमार गौड़
पब्लिक एडवोकेशन
सोसाइटी
बहराइच

F 40621

सं - रजिस्ट्रार - पत्र

संशोधित स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : राजेश कुमार गौड़ पब्लिक एजूकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पता : मो0-नई बस्ती अकबरपुरा, पोस्ट तहसील व जिला-बहराइच, उ0प्र0, 271801
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।
4. संस्था का उद्देश्य :

1. जन मानस में सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की भावना जागृत करना।
2. बालक/बालिकाओं को हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, आदि भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था करना।
3. प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था हेतु विद्यालय/महाविद्यालय की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।
4. ज्ञानवर्धक हितार्थ पुस्तकालय, वाचनालय की निःशुल्क व्यवस्था करना।
5. बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में बालिका विद्यालय/बालिका महाविद्यालय की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।
6. गरीब एवं असहाय बालक/बालिकाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, संगीत, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाइनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग एवं शिल्पकला, काष्ठकला, दरी-कार्लीन, टंकण, आशुलिपिक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं ग्रामोद्योगिक प्रशिक्षण दिलाने की निःशुल्क व्यवस्था करना।
7. जनहितार्थ अनाथालय, छात्रावास, व्यायामशाला, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, बालबाड़ी, आंगनबाड़ी आदि की स्थापना कर निःशुल्क सेवा करना।
8. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार-गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, कुश्ती प्रतियोगिता, वाद-विवाद, प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, योगा कार्यक्रम, जागरूकता शिविर, सामाजिक जागरूकता, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना।
9. मूक बधिर, विकलांग, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक तथा गरीब असहायों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण कराना।

शेष......पृष्ठ (२) पर

सत्य प्रतिलिपि

R. R. Aspire Academy Manager LKO Road Bahraich

10 जन कल्याण हेतु राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार व संचालन करना।

11 दैवीय आपदाओं में जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड, भूकम्प, तूफान आदि मे राहत कार्य करना एवं पीड़ित व्यक्ति की हर सम्भव सहायता करना।

12. शिक्षा के उन्नयन हेतु नवीनतम् तकनीक, प्राविधिक, औद्योगिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा एवं आयुष शिक्षा, बी0एड0/बी0पी0एड0/बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

13. गरीब एवं निराश्रित कन्याओं व मध्यवर्गीय परिवार की कन्याओं के विवाह हेतु संस्था के माध्यम से सहायता करने का प्रयास करना व उसका प्रचार-प्रसार करना।

14. समाज में व्याप्त अंधविश्वास, दहेज, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह आदि की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करना।

15. समाज के मूक बधिरों, विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धों, मजदूरों, कारीगरों, तथा निराश्रितों बेरोजगारों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना तथा वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम की स्थापना कर उनका निःशुल्क संचालन करना।

16. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना एवं राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्‌भाव शिविरों का आयोजन करना तथा सभी धर्म के लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्व बन्धुत्व की भावना जागृत करना।

17 साइंस एण्ड टेक्नोलाजी विभाग भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार एवं उपभोक्ता कल्याणार्थ सम्बन्धित विभाग एवं पर्यावरण संस्थान व जनकल्याण के क्षेत्र मे मिलजुलकर कार्य करना।

18. पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, परिवार कल्याण, नारी सशक्तीकरण, बालिका सशक्तीकरण, जनसंख्या नियन्त्रण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, कुष्ट उन्मूलन, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी पर्यटन शिक्षा, पर्यटन विकास, कृषि विविधीकरण, हरियाली कार्यक्रम, गौ संरक्षण, गौ पालन, भूमि एवं जल प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, पशु-पक्षी (जीव-जन्तु) संरक्षण आदि कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

19. नयी युवा प्रतिभाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा प्रोत्साहित करना तथा नेहरू युवा केन्द्र, भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे युवा कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

शेष.......पृष्ठ (३) पर

R. R. Aspire Academy Manager LKO Road Bahraich

R. R. ASPIRE ACADEMY PRINCIPAL BAHRAICH

कार्यालय-डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, 145 रीडगंज, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

पत्रांकः 67 /एफ-40621/अयोध्या/दिनांकः-05/04 /2025

सेवा में,

श्री राजेश कुमार गौड़/प्रबन्धक,
राजेश कुमार गौड़ पब्लिक एजूकेशनल सोसाइटी,
मो0 नई बस्ती अकबरपुरा पोस्ट तहसील व जिला-बहराइच।

विषयः संस्था-राजेश कुमार गौड़ पब्लिक एजूकेशनल सोसाइटी, मो0 नई बस्ती अकबरपुरा पोस्ट तहसील व जिला-बहराइच की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2025-2026 पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों के आधार पर प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2025-2026 नियमानुसार पंजीकृत किया जाता है। इसमें यदि किन्हीं तथ्यों को छुपाया गया होगा या गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये होंगे तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा तथा उक्त पंजीकृत प्रपत्र पंजीकरण की तिथि से अमान्य एवं विधि शून्य माने जायेंगे।

भवदीय

03/04/25

(लक्ष्मी कान्त)
डिप्टी रजिस्ट्रार
अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

R. R. Aspire Academy
Manager

R.R. ASPIRE ACADEMY

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

90AE 295171

राजेश कुमार गौड़
पब्लिक एजुकेशनल
सोसाइटी बहराइच
f- 40621
प्रबन्ध समिति
(25-26)

सत्य प्रतिलिपि

R. R. Aspire Academy
Manager
LKO Road-Bahraich

R. R. ASPIRE ACADEMY
PRINCIPAL
BAHRAICH

राजेश कुमार गौड़ पब्लिक एजुकेशनल सोसाइटी

मोहल्ला–नई बस्ती अकबरपुरा, पोस्ट तहसील व जिला–बहराइच, उ0प्र0, 271801

प्रबंधकारिणी समिति की सूची वर्ष

2025 -2026

क्र0	नाम पिता/पति .	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री इन्दु प्रकाश गौड़ पुत्र स्व0 पुत्ती लाल गौड़	मोहल्ला–नई बस्ती अकबरपुरा, पोस्ट तहसील व जिला–बहराइच, उ0प्र0, 271801	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	श्रीमती रेखा गौड़ पत्नी श्री राजेश कुमार	मोहल्ला–नई बस्ती अकबरपुरा, पोस्ट तहसील व जिला–बहराइच, उ0प्र0, 271801	उपाध्यक्ष	गृहणी
3	श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 पुत्ती लाल गौड़	मोहल्ला–नई बस्ती अकबरपुरा, पोस्ट तहसील व जिला–बहराइच, उ0प्र0, 271801	प्रबन्धक	समाजसेवा
4	श्री अजय कुमार गौड़ पुत्र श्री गुलाब चन्द गौड़	मोहल्ला–नई बस्ती अकबरपुरा, पोस्ट तहसील व जिला–बहराइच, उ0प्र0, 271801	उपप्रबन्धक	समाजसेवा
5	श्री अमीचन्द पुत्र श्री जग नारायण	मोहल्ला–बशीरगंज, पोस्ट तहसील व जिला–बहराइच, उ0प्र0।	सचिव	समाजसेवा
6	श्री भुवनेश्वर पाठक पुत्र श्री त्रिभुवन दत्त पाठक	मोहल्ला–तिकोनी बाग, पोस्ट तहसील व जिला–बहराइच, उ0प्र0।	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
7	प्रियान्जलि गौड़ पुत्री श्री राजेश कुमार	द्वारिका गंज, गोसाई गंज, सुलतानपुर सिटी, जिला–सुलतानपुर, उ0प्र0।	सदस्य	समाजसेवा
8	श्री पंकज कुमार पाठक पुत्र श्री महोदव राम पाठक	टेण्डवा अल्पी मिश्र, जिला–बहराइच, उ0प्र0।	सदस्य	समाजसेवा
9	श्रीमती अनुपम मिश्रा पत्नी श्री आनन्द कुमार मिश्र	410, रानी बाजार बड़गाँव, जिला–गोण्डा, उ0प्र0।	सदस्य	गृहणी
10	श्री आनन्द कुमार मिश्र पुत्र श्री गया प्रसाद मिश्र	रानी बाजार, बड़गाँव, जिला–गोण्डा, उ0प्र0।	सदस्य	समाजसेवा
11	श्रीमती रश्मि गौड़ पत्नी श्री अजय कुमार गौड़	248, नई बस्ती अकबरपुरा, पोस्ट तहसील व जिला–बहराइच, उ0प्र0, 271801	सदस्य	गृहणी
12	श्रीमती संध्या पाठक पत्नी श्री भुवनेश्वर पाठक	म0नं0–1669, मजिरपुरा, नई बस्ती, शेखरदहीर, जिला–बहराइच, उ0प्र0।	सदस्य	गृहणी

रेखा

संध्या पाठक

R. R. Aspire Academy, Manager, LKO Road-Bahraich

R. R. Aspire Academy, Principal, Bahraich

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28AE 269459

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक

फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स

अयोध्या

11/08/2020

सं- नियमावली

F 40621

R. R. Aspire Academy

Manager

LKO Road-Bahraich

R. R. ASPIRE ACADEMY

PRINCIPAL

BAHRAICH

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : राजेश कुमार गौड़ पब्लिक एजूकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पता : मो0-नई बस्ती अकबरपुरा, पोस्ट तहसील व जिला-बहराइच, उ0प्र0, 271801
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।
4. संस्था की सदस्यता अथवा सदस्यों के वर्ग :-

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से एक बार में रुपया 2100/- नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप से प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु रू0 100/- वार्षिक चन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति :
   1. मृत्यु हो जाने पर।
   2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
   3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
   4. न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
   5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।
   6. लगातार तीन बैठको में अनुपस्थित होने पर।
   7. त्याग पत्र या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
6. संस्था के अंग : (अ) साधारण सभा
   (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

11/08/2020

7. साधारण सभा :-

गठन : सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि : साधारण सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित एजेण्डे से दी जायेगा।

गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए पर्याप्त होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों की अनुमति से तय की जायेगी।

साधारण सभा के कर्तव्य :
1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
4. नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन साधारण सभा द्वारा सदस्यों की बहुमत से किया जायेगा।

शेष......पृष्ठ (२) पर

R. R. Aspire Academy Manager

R. R. ASPIRE ACADEMY PRINCIPAL

प्रबन्धकारिणी समिति :–

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा। जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, प्रबन्धक एक, उपप्रबन्धक एक, सचिव एक, कोषाध्यक्ष एक, तथा 06 सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल संख्या 12 होगी।

बैठकें : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में चार बार और विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को सूचना देकर बुलायी जा सकती है।

सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व लिखित एजेण्डे से दी जायेगी।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति के अभाव में एक बैठक स्थगित होने पर पुनः बुलायी गयी दूसरी बैठक के लिए गणपूर्ति का कोई प्रतिबन्ध न रहेगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति :
प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :–

1. संस्था के उन्नति एवं प्रगति के लिए आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3. संस्था की वार्षिक बजट कार्य योजना तैयार करना।
4. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, विदेशी संस्थाओं एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण, चन्दा, अनुदान व दान प्राप्त करना तथा भूमि-भवन दान स्वरूप प्राप्त करना एवं भवन आदि का निर्माण करना।
5. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
6. विद्यालय की प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
7. विद्यालय में एक से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
8. संस्था द्वारा राज्य सरककार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
9. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
10. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
11. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।
12. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रख जायेगा।
13. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

शेष.......पृष्ठ (३) पर

R. R. Aspire Academy * LKO Road-Bahraich * Manager

R. R. ASPIRE ACADEMY PRINCIPAL BAHRAICH

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–

अध्यक्ष : 1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिए दिनांक का अनुमोदन, परिवर्तन एवं स्थगित करना।
3. समान मत होने पर निर्णायक मत रखना।
4. बैठक में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
5. संस्था द्वारा संचालित केन्द्रों की व्यवस्था करना।

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थित में कार्य करना तथा उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

प्रबन्धक : 1. प्रबन्धकारिणी समिति का मुख्य पदाधिकारी होगा।
2. संस्था के समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करके प्रमाणित करना।
3. कर्मचारियों के विशेष अवकाशों की स्वीकृति करना तथा सन्दर्भ नियुक्ति करना।
4. संतुष्टि की स्थिति में कर्मचारियों के विशेष अवकाशों की स्वीकृति करना।
5. समस्त बिल तथा बाउचर पर हस्ताक्षर करना।
6. प्रबन्धकारिणी समिति के प्रगति सम्बन्धी निर्णयों को क्रियान्वित करना।
7. सरकार द्वारा ऋण तथा अनुदान प्राप्त करना
8. बजट के आधार पर संस्था की सम्पत्ति का प्रबन्धन एवं नियन्त्रण करना।
9. संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति की देख-रेख एवं सुरक्षा करना।
10. आय-व्यय का निरीक्षण करना।
11. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना तथा अभिलेखों एवं पत्र को सुरक्षित रखना।
12. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।

उपप्रबन्धक : प्रबन्धक की अनुपस्थित में प्रबन्धक के निर्देशानुसार कार्य करना तथा उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

सचिव : 1. संस्था की तरफ से समस्त पत्र व्यवहार करना।
2. सदस्यों के नाम सदस्यता रजिस्टर पर लिखना।
3. बैठकों की कार्यवाही लिखना एवं सुनाना।
4. बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप से देना।

कोषाध्यक्ष 1. संस्था के आय-व्यय का लेखा-जोखा करना।
2. दान व चन्दा प्राप्त करना व रसीद देना।
3. प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन व परिवर्धन किया जायेगा।

11. संस्था का कोष : संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त व राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जो प्रबन्धक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उपप्रबन्धक में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से किया जाएगा। जिसमें प्रबन्धक के हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

12. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण आडिट :–

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (ऑडिट) किसी सुयोग्य ऑडिटर द्वारा वर्ष में एक बार कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

शेष......पृष्ठ (४) पर

R. R. Aspire Academy Manager LKO Road-Bahraich

R. R. ASPIRE ACADEMY PRINCIPAL BAHRAICH

13. <u>संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व</u> : संस्था द्वारा होने वाले समस्त अदालती कार्यवाही की पैरवी अध्यक्ष द्वारा की जायेगी या उसके द्वारा किसी अन्य अधिकृत वर्णित द्वारा की जायेगी।

14. <u>दायित्व</u> : संस्था द्वारा प्राप्त ऋणों की अदायगी उसकी उपयोगिता एवं सुरक्षा का दायित्व सभी सदस्यों का सामूहिक एवं पृथक-पृथक रूप से होगा। आवश्यकता पड़ने पर बाहरी दायित्वों के लिए सदस्य अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति जमानत में देंगे। यह दायित्व ऋण अदायगी तक बना रहेगा।

15. संस्था के अभिलेख :
(1) सदस्यता रजिस्टर
(2) कार्यवाही रजिस्टर
(3) एजेण्डा रजिस्टर
(4) स्टाक रजिस्टर
(5) कैश बुक आदि।

15. संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक .... हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
11/08/2020

R. R. Aspire Academy Manager LKO Road-Bahraich

R. R. ASPIRE ACADEMY PRINCIPAL BAHRAICH